न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 37/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
चन्दूलाल पुत्र जसाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 209 राजस्थान टीनेसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवनगर पटवार क्षेत्र हरियाढाणा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं.153 खसरा नंबर 2744 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2745 रकबा 1.9173 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2746 रकबा 2.1358 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2747 रकबा 3.1551 हैक्टेयर, कुल खसरा 04 का कुल रकबा 7.7421 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जाका"त की स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/20 वां हिस्सा है। उक्त खसरान की कृषि भूमि में प्रार्थी की अपनी 1/20वां हिस्से की भूमि पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है, जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रतिलिपि प"। है। ग्राम देवनगर पटवार क्षेत्र हरियाढाणा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं.149 खसरा नंबर 2710/5 रकबा 1.1650 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2721/4 रकबा 0.8656 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2748/2922 रकबा 1.5533 हैक्टेयर, कुल खसरा 03 का कुल रकबा 3.5839 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जाका"त की स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/4 वां हिस्सा है। उक्त खसरान की कृषि भूमि में प्रार्थी की अपनी 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है, जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रतिलिपि पे"ा है। ग्राम देवनगर पटवार क्षेत्र हरियाढाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं.150 खसरा नंबर 2497 रकबा 2.3785 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2499 रकबा 3.2036 हैक्टेयर, कुल खसरा 02 का कुल रकबा 5.5821 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जाका"त की स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 वां हिस्सा है। उक्त खसरान की कृषि भूमि में पार्थी की अपनी 1/3वां हिस्से की भूमि पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है, जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रतिलिपि पे"ा है। उपरोक्त वर्णित तीनों खातों की, उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारो द्वारा [illegible] व त्रुटिव"ा व सेव से चन्दूलाल फडाक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:42 IST
Reason: SelfAttested

स्थान पर चन्द्राराम नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी ने हल्का पटवारी द्वारा अपने उपरोक्त खाता व खसरान खातेदारी की कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के उपरोक्त खसरान की खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी व गिरदावरी में हल्का पटवारी द्वारा सेव से भूलव"ा गलत इन्द्राज होने से कभी भी वाद विवाद हो सकता है, तथा प्रार्थी को बैंक से के.सी.सी. ऋण लेने, सहकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रार्थी अपना वास्तविक नाम चन्दूलाल फडाक होने बाबत प्रार्थी अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी. कार्ड, 12वीं परीक्षा प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं बोर्ड की अंकतालिका, रा"ान कार्ड व मूल निवासी प्रमाण दिए है जिसमें भी प्रार्थी का नाम चन्दूलाल फड़ाक दर्ज है। प्रार्थी का आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई.डी.कार्ड, 12वीं परीक्षा प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं बोर्ड की अंकतालिका, रा"ान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व मूल प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पे"ा करता है। प्रार्थी अपने उपरोक्त खातों व खसरान की खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी द्वारा सेव से भूलव"ा व त्रुटिव"ा किए गए प्रार्थी अपना नाम चन्द्राराम के स्थान पर चन्दूलाल फड़ाक दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड में दूरस्त करवाना चाहता है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा सेव से एवें पैन लिखत त्रुटि से किए गए नाम परिवर्तन को दूरस्त किया जाना न्यायहित में आव"यक है।

अन्त में वाद पे"ा कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त खातो व खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम चन्द्राराम की जगह चन्दूलाल फड़ाक राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदे"ा फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सम्मन बाद तामिल पे"ा हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पे"ा किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम देवनगर के खसरा नंबर 2744 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नं. 2745 रकबा 1.9173 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2746 रकबा 2.1358 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2747 रकबा 3.1551 हैक्टेयर, कुल रकबा 7.7421 में 1/20 हिस्सा व देवनगर के खसरा नंबर 2710/5 रकबा 1.1650 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2721/4 रकबा 0.8656 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2748/2922 रकबा 1.5533 हैक्टेयर, कुल रकबा 3.5839 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा तथा ग्राम देवनगर के खसरा नं. 2497 रकबा 2.3785 है., खसरा नं. 2499 रकबा 3.2036 है. कुल रकबा 5.5821 है. का 1/3 हिस्सा आई हुई है। विरासत नामा. सं. 1896 व 1632 के जरिये वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में चन्द्राराम दर्ज हुआ है। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में वादी के नाम की दूरस्तो की जाकर वादी का नाम चन्द्राराम पुत्र जसाराम के स्थान पर चन्दूलाल पुत्र जसाराम किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। धारा 209 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में संयोजित किया जा सकता है तथा उपरोक्त अनवान के राजस्व प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में ट्रीट किया जाना न्याय संगत है। अतः मौजूदा प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में निर्णय किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:42 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा वादी की प्रार्थना स्वीकार करने के कारण वादी की साक्ष्य अखण्डित रही। इसलिए तनकीयात की आव"यकता नही रही। वादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पे"ा किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद"f 1 कक्षा 12 वीं अंकतालिका, प्रद"f 2 पहचान पत्र चन्दूलाल पुत्र जस्साराम, प्रद"f 3 आधारकार्ड चन्दूलाल, प्रद"f 4 जनआधार कार्ड, प्रद"f 5 परिवार पहचान पत्र, प्रद"f 6 कक्षा 10वीं अंकतालिका, प्रद"f 7 मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रद"f 8 जाति प्रमाण पत्र आदि पे"ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम चन्दूलाल पुत्र जस्साराम दर्ज किया हुआ है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की सयुक्त खातेदारी चन्द्राराम पुत्र जस्साराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम चन्दूलाल पुत्र जस्साराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम देवनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2744 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नं. 2745 रकबा 1.9173 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2746 रकबा 2. 1358 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2747 रकबा 3.1551 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2710/5 रकबा 1.1650 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2721/4 रकबा 0.8656 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2748/2922 रकबा 1.5533 हैक्टेयर, खसरा नं. 2497 रकबा 2.3785 है., खसरा नं. 2499 रकबा 3.2036 है. के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातदार चन्द्राराम पुत्र जस्साराम के स्थान पर चन्दूलाल पुत्र जस्साराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ामार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:42 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

चन्दूलाल पुत्र जसाराम
जाति जाट निवासी ग्राम
हरियाढाणा तहसील
बिलाड़ा, जिला
जोधपुर

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 209 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 37/2020

निर्णय दिनाक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम देवनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2744 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नं. 2745 रकबा 1.9173 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2746 रकबा 2.1358 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2747 रकबा 3.1551 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2710/5 रकबा 1.1650 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2721/4 रकबा 0.8656 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2748/2922 रकबा 1.5533 हैक्टेयर, खसरा नं. 2497 रकबा 2.3785 है., खसरा नं. 2499 रकबा 3.2036 है. के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार चन्द्राराम पुत्र जस्साराम के स्थान पर चन्दूलाल पुत्र जस्साराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:42 IST
Reason: SelfAttested